फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर महोदय जमवारामगढ़, जयपुर

कमोद उर्फ कमलेश बनाम कैलाश व अन्य

वाद पत्र संख्या 43 /2020

20-07-2020	वादी की ओर से वाद पत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश किया। दावा दर्ज रजिस्ट्रर होकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी होंकर पत्रावली दिनांक 17/8/20 को पेश हो।
17/8/2020	पत्रावली पेश हुई पत्रावली प्रचलन वास्ते तलबी हेतु दिनांक 27/8/2020 को पेश हो
27/8/2020	आज दिनांक 27/8/2020 को पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज कन्डोलेंस/ ~~कार्य बहिष्कार~~ किये जाने के कारण न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। ~~पी.ओ. सा. अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश पर है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 13/10/2020 को पेश हो।
13/10/2020	पत्रावली पेश हुई। ..... पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते तलबी/जवाब ..... दिनांक 10/12/2020 को पेश हो।
10/12/2020	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्य राजकार्य में व्यस्त है पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते तलबी/जवाब ..... दिनांक 22/1/2021 को पेश हो।
21/12/2020	पत्रावली आज वादिया द्वारा जरिये वकील विड्रो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर तलब की गई। वादिया ने विड्रो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत निवेदन किया कि वादिया/प्रतिवादीगणों के मध्य आपस में राजीनामा हो गया है तथा अब दोनों ही पक्ष वाद को आगे चलाने के इच्छुक नहीं है। अतः वाद पत्र विड्रो को स्वीकार किया जावे। वादिया एवं वकील वादी को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। वादी को विड्रो प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद विड्रो करने की स्वीकृति दी जाती है तथा वादी वाद विड्रो कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर स कर दो

कमलेश

Identified

डी चन्द महावर

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)

जमवारामगढ़